न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 189/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/350

प्रार्थीः–

बगड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड पंचायत समिति सोजत जरिये अध्यक्ष भगवानराम निवासी बगड़ीनगर तहसील सोजत जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मृत भाणकीदेवी पत्नी पाबुराम के कायम मुकाम
   1/1 सुजाराम पुत्र पाबूराम
   1/2 शिवराम पुत्र पाबूराम
   जतिगण चौकीदार (बावरी) निवासीगण रामदेव मन्दिर के पिछे, पिपलाद रोड़, बगड़ी नगर तहसील सोजत, जिला पाली
2. ग्राम पंचायत बगड़ी नगर जरिये सरपंच

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा।
2. अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिव्यानन्द शर्मा।

–: निर्णय :–

दिनांक : 28/11/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत बगड़ी नगर द्वारा भाणकीदेवी पत्नी पाबुराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 306 दिनांक 10.12.1984 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम बगड़ी नगर में प्रार्थी का परिसर स्थित है, जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में आम रास्ता, दक्षिण दिशा में आम रास्ता, पूर्व दिशा में सोहनलाल पुत्र लालाराम कुम्हार का मकान, पश्चिम दिशा में अमराराम पुत्र माधुराम चौकीदार का मकान स्थित है। उक्त परिसर के आगे मैन रोड़ पर सार्वजनिक चौक स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा तैयार कर मौके पर पक्का निर्माण करवाने हेतु सामग्री डाली तब प्रार्थी द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत के समक्ष लिखित शिकायत पेश की और निर्माण कार्य को रोकनो एवं मौका, रेकर्ड व दस्तावेजों की तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति सोजत को निर्देशित किया। ग्राम पंचायत में जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड उपलबध नहीं है और ग्राम पंचायत ने यह लिखित में दिया

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कि वर्ष 1983–84, 1984–85 में उक्त भाणकी के नाम से कोई पट्टा पत्रावली सम्बन्धी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। जैर निगरानी पट्टे पर केवल सरपंच के हस्ताक्षर है और सरपंच अकेला कोरम नहीं होता है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRD 1984 Page 174 पेश कर ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका लगभग 42 वर्ष बाद पेश की है, जो बेरून म्याद है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट में जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी होना बताया है। जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1961 के तहत कमजोर वर्ग के व्यक्ति को जारी किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 25 बाई 20 है। उक्त पट्टा ग्राम सेवा सहकारी समिति के पीछे की तरफ है तथा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने अपना कोई पट्टा पेश नहीं किया है। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण जांच की आदेशिका में उक्त पट्टे को विधिनुसार माना है। यदि ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे का रेकर्ड नहीं है तो उसका खामियाजा पट्टाधारक क्यों भुगते। ग्राम सेवा सहकारी समिति किराये के भवन में संचालित है, प्रार्थी के खुद का भवन नहीं है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये विधिनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया है अतः प्रार्थी द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत बगड़ी नगर द्वारा भाणकीदेवी पत्नी पाबुराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 306 दिनांक 10.12.1984 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है और न ही उसका रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के उज्र का खण्डन करते हुये कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम सेवा सहाकरी समिति के अध्यक्ष द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सोजत के समक्ष प्रस्तुत शिकायत पर ग्राम पंचायत बगड़ी की विस्तृत जांच अनुसार उक्त भूमि का पट्टा भानकी देवी के नाम से जारी होना पाया गया अर्थात् ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण जांच के पश्चात यह माना कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अधिवक्ता प्रार्थी का यह कथन कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया, प्रमाणित नहीं होने की दशा में स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य उज्र यह भी था कि ग्राम पंचायत से सार्वजनिक चौक की भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जबकि ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार है। विपक्षी अधिवक्ता ने अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी कमजोर वर्ग का सदस्य होने से ग्राम पंचायत पंचायत नियमों के तहत निःशुल्क

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पट्टा जारी किया है। जैर निगरानी पट्टे पर अंकित पड़ौस अनुसार उत्तर दिशा में कॉपरेटिव भवन की पूटवाड़, दक्षिण दिशा में आम रास्ता, पूर्व दिशा में लाला कुम्हार का बाड़ा, पश्चिम दिशा में पंचायत की पड़त भूमि स्थित है, जिसके अनुसार उक्त पट्टा ग्राम सेवा सहकारी समिति की पीछे की ओर जारी किया गया है। यदि जैर निगरानी आराजी सार्वजनिक चौक होती तो निश्चित ही ग्राम सेवा सहकारी समिति के पक्ष में जारी पट्टे की दक्षिण दिशा में अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में जारी पट्टे में सार्वजनिक चौक अंकित होता और ऐसे कोई दस्तावेज अधिवक्ता प्रार्थी अपने कथनों की ताईद में प्रस्तुत करते परन्तु उनके द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। अधिवक्ता प्रार्थी ने जैर निगरानी आराजी का सार्वजनिक चौक होने के सम्बन्ध में केवल तर्क किये है इसकी ताईद में कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया। न्यायिक प्रक्रिया में केवल कथन करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे प्रमाणित करना आवश्यक होता है। सिर्फ यह आरोप कि वह स्थान सार्वजनिक चौक है, तब तक मान्य नहीं है जब तब प्रमाणित दस्तावेज यथा राजस्व नक्शा, पंचायत का प्रस्ताव या रिकॉर्ड, ग्राम पंचायत की रिपोर्ट आदि प्रस्तुत न हों। यदि प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते तो कथन केवल आरोप या दावे के समान होते हैं जिनका कोई ठोस समर्थन नहीं होता इसलिये न्यायालय ऐसे कथनों को स्वीकार नहीं करता। सम्बन्धित अधिवक्ता का यह दायित्व होता है कि वह अपने कथनों को प्रमाणित करे, बिना उचित सबूत के केवल कथन करना स्वीकार्य नहीं। साथ ही जैर निगरानी पट्टे में अंकित पड़ौस से भी यह साबित नहीं होता कि प्रश्नगत पट्टा सार्वजनिक चौक की भूमि में जारी किया गया हो।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टे पर केवल सरपंच के हस्ताक्षर है और सरपंच अकेला कोरम नहीं हो सकता। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने समर्थन में कथन किया कि उक्त पट्टा सम्पूर्ण कोरम द्वारा जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रश्नगत पट्टे की प्रति का अवलोकन करने पर पाते है कि पट्टे पर सरपंच, ग्राम सेवक पदेन सचिव, भूमि वि. कमेटी सदस्य के साथ एक अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर है अर्थात् ग्राम पंचायत में सम्पूर्ण कोरम की उपस्थिति में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो कि प्रस्तुत दस्तावेजात् से प्रमाणित है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त अवश्य ही सम्माननीय है परन्तु वह उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा अनुसूचित जाति व जन जाति कारीगरों लघु सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन के तहत जारी किया गया है तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1961 के नियम 267(2)(क) के अनुसार पंचायत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों, ग्रामीण शिल्पियों और भूमिहीन श्रमिकों को, जिनके पास स्वयं के गृह–स्थल/गृह नहीं है तथा उन बाढ़ पीड़ितों को भी जिनके गृह बह गये है अथवा गृह स्थल बाढ़ के कारण से भविष्य में बसने योग्य नहीं है, 150 वर्ग गज तक आबादी भूमि गॉव की आबादी में मुफ्त आवंटित कर सकेगी, जिसके तहत अप्रार्थी का व्यवसाय मजदूरी होने से ग्राम पंचायत ने 500

अति. जिला कलेक्टर, पाली

वर्गफुट अर्थात् 55.55 वर्गगज का जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जो कि उपर्युक्त नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार है।

प्रार्थी ने ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष जैर निगरानी आराजी पर निर्माण कार्य को रूकवाये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना प्रस्तुत किया गया, जिस पर ग्राम पंचायत की विस्तृत जांच के पश्चात उपखण्ड अधिकारी सोजत ने पत्रांक 637 दिनांक 14.06.2024 के द्वारा यह स्पष्ट किया कि प्रश्नगत भूमि का पट्टा भाणकी देवी के नाम से जारी सुदा है एवं आबादी क्षेत्र में स्थित है। ग्राम पंचायत स्वयं अपनी जाँच रिपोर्ट में यह स्वीकार कर रही है कि उक्त पट्टा वर्ष 1984 में उन्ही के द्वारा जारी किया गया था, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक साक्ष्य है। ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड का न मिलना उक्त पट्टे को फर्जी होना प्रमाणित नहीं करता। न्यायिक दृष्टिकोण में यह सिद्धान्त स्थापित है कि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता का जोखिम नागरिक पर नहीं थोपा जा सकता। प्रश्नगत पट्टा निरस्त करने का आधार तभी बनता है जब पट्टा नियमों के विरूद्ध जारी हुआ हो या सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से दिया गया हो अथवा पट्टा धोखाधड़ी/भ्रमित जानकारी के आधार पर प्राप्त किया गया हो। परन्तु हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी उपर्युक्त समस्त आधारों को प्रमाणित करने में असफल रहे। लाभार्थी को उस प्रशासनिक कमी या रिकॉर्ड रखाव की गलती का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जो पंचायत की होती है। जैर निगरानी पट्टा तत्समय लागू राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत जारी किया है तथा लाभार्थी महिला एससी व मजदूरी श्रेणी में आती थी, तो वह नियमों के अनुसार पात्र थी, अर्थात् अप्रार्थी ने कोई धोखाधड़ी नहीं की और वर्तमान में रिकॉर्ड का उपलब्ध न होना अप्रार्थी के अधिकार को समाप्त नहीं करता, साथ ही ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत की स्वीकारोक्ति कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है, जैर निगरानी पट्टे की वैधानिकता को बल देती है। भारतीय प्रशासनिक कानून में यह सिद्धान्त स्पष्ट है कि "Record non-availability cannot invalidate an otherwise valid administrative act." उस समय कार्रवाई विधिसम्मत थी और ग्राम पंचायत स्वीकार कर रहा कि पट्टा उनके द्वारा जारी किया गया है तो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना पट्टे की वैधता को प्रभावित नहीं करता। जब मूल रिकॉर्ड उपलब्ध न हो, तो पंचायत की लिखित जाँच रिपोर्ट, स्वीकारोक्ति और मौजूदा अभिलेख "Secondary Evidence" की श्रेणी में आते हैं, उस स्थिति में कानून की दृष्टि से "Secondary Evidence" भी उतना ही मान्य होता है जितना primary record. इसलिए ग्राम पंचायत स्वयं एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा यह स्वीकार कर लेना कि पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी हुआ था, सबसे मजबूत रिकॉर्ड प्रमाण है। रिकॉर्ड का संरक्षक ग्राम पंचायत थी और अप्रार्थी कभी भी रिकॉर्ड का सरंक्षक नहीं रहा, इसलिए रिकॉर्ड गायब होने का दोष अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे पर आरोपित नहीं किया जा सकता। वर्ष 1984 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा केवल इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि वर्तमान में पंचायत में अभिलेख उपलब्ध नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता एक प्रशासनिक कमी है, न कि लाभार्थी का कोई दोषपूर्ण आचरण। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त AIR

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

1969 SC 253 Bibi तथा AIR 2000 SC 2629 में यह स्पष्ट किया कि जब मूल दस्तावेज उपलबध न हो, तो Secondary Evidence एवं प्राधिकरण की स्वीकारोक्ति वैध और पर्याप्त साक्ष्य मानी जाती है। चूंकि उपखण्ड अकिधारी एवं ग्राम पंचायत स्वयं अपनी जाँच में यह स्वीकार कर चुकी है कि जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है, इसलिये केवल रिकॉर्ड न मिलने की स्थिति में पट्टे को फर्जी या अवैध नहीं माना जा सकता। उपुर्यक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थी के पक्ष में 40 वर्ष पूर्व जारी पट्टे को केवल मात्र इस आधार पर खारिज करना कि ग्राम पंचायत में रेकर्ड उलपबध नहीं है, न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इससे अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने व अनावश्यक लिटिगेशन बढ़ने की संभावना रहती है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत बगड़ी नगर द्वारा भाणकीदेवी पत्नी पाबुराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 306 दिनांक 10.12.1984 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली